

21/12/24

पत्रावली पेश हुई | ~~वादी~~ आदि 370
परिवाही आदि 370 प्रकार साक्ष्यवादी
के 200 RS कोट लागई जाती है
प्रकार शास्त्रीक आदेश में दिनांक
12/12/24 को पेश हो

12/12/24

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार
एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ
है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य
में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 18/12/24 को पेश हो।


आज्ञा से रीडर

18/12/24

पत्रावली पेश हुई | वादी आदि 370
कादीगण द्वारा वादपत्र को साक्ष्य
काने हेतु निम्नतर अवसर निम्न जाने के
बावजूद भी साबिक पेश नहीं किये गये हैं
अतः साक्ष्यवादी बंद की जाती है। वादी
आक्षेपका द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किये
जाने से वादी अपना वाद अन्तर्गत धारा
188 राजस्थान काइलकारी आक्षेपपत्र
को विरुद्ध करने में असफल रहा है अतः
वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान
काइलकारी आक्षेपपत्र विरुद्ध उन्निवारिगण
साक्ष्य काने में विफल रहने से खारिज
किया जाता है। निर्णय सरे इजलास
सुनाना गया। डिफेंड पक्षी जारी है।

पत्रावली मौजल शुमार होकर

माफिल रहता है तथा नम्बर में कम
होता


18/12/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र मूलचन्द जी चौहान आयु वयस्क निवासी एफ0-184 आर0 के0 कॉलोनी भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. राधनारायण पुत्र मगना जी जाति तेली आयु वयस्क निवासी सांगानेर रोड बी0 सेक्टर भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. राजकुमार पोखरना मालिक राजस्थान इस्पात उद्योग, बालाजी मार्केट दुकान नम्बर 29 भीलवाड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

दावा:- वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 रा0 टि0 एक्ट बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 107/2012 राजस्व वाद

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता श्री शिव सिंह चारण उपस्थित - इस वाद में आज तारीख 18.12.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किये जाने से वादी अपना वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध प्रतिवादीगण साबित करने में विफल रहने से खरिज किया जाता है।


18/12/24
(सहायक कलक्टर) टर
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा